कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार (म.प्र.)

—: आदेश :—

क्रमांक : 37 / दो—06—1 / 2021 धार, दिनांक : 13 / 01 / 2022

माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर (म.प्र.) द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापनाओं पर चतुर्थ श्रेणी (वाहन चालक, भृत्य / चौकीदार / जलवाहक, माली एवं स्वीपर) कलेक्टर रेट / आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारियों की सीधी भर्ती / नियुक्त हेतु विज्ञापन क्रमांक : 120 / परीक्षा / 21 दिनांक : 26—10—2021 जारी किया गया है। इसी अनुक्रम में न्यायिक जिला स्थापना—धार पर भर्ती / नियुक्ति हेतु जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया गया था, के साक्षात्कार की तिथि पूर्व में दिनांक : 11 जनवरी 21 जनवरी, 2022 तक नियत की गई थी, तत्पश्चात् दिनांक : 15 एवं 16 जनवरी, 2022 को अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होने के कारण, उक्त दिनांको को आयोजित भृत्य / चौकीदार / जलवाहक, माली एवं स्वीपर प्रवर्ग के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक : 22 जनवरी से 10 फरवरी, 2022 को नियत किया गया था।

किन्तु, वर्तमान में कोविड—19 वायरस, डेल्टा एवं ओमीक्रॉन पॉजिटिव केसेस की संख्या में अत्यधिक तीव्रता से बढ़ोतरी होने के कारण, साक्षात्कार कार्य में संलग्न किये गये न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों एवं साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु आने वाले अभ्यर्थियों की कोविर्ड—19, डेल्टा एवं ओमीक्रॉम वायरस से सुरक्षा / बचाव के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए **न्यायिक जिला स्थापना—धार पर <u>दिनांक : 15 जनवरी, 2022 से 10 फरवरी, 2022 तक</u> आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी / कलेक्टर रेट (वाहन चालक, भृत्य / चौकीदार / जलवाहक, माली एवं स्वीपर) चतुर्थ श्रेणी प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की सीधी भर्ती / नियुक्ति हेतु आयोजित साक्षात्कार <u>आगामी आदेश तक स्थगित</u> किये जाते हैं।** इन दिनांको को नियत साक्षात्कार के स्थान पर नवीन तिथियों की सूचना भविष्य में सेवा प्रदाता के माध्यम से अभ्यर्थियों को दी जायेगी।

साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि, पूर्व में निर्धारित साक्षात्कार कार्यक्रम अनुसार दिनांक : 14 जनवरी, 2022 को "भृत्य / चौकीदार / जलवाहक" प्रवर्ग के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जायेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

13.1.2022

(अखिलेश जोशी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
धार (म.प्र.)

क्रमांक : 72 / दो—06—1 / 2021 धार, दिनांक : 13 / 01 / 2022

प्रतिलिपि :—

1. निज सचिव, माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय (न्यायिक जिला—धार), माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ—इन्दौर (म.प्र.) की ओर माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।

निरन्तर..........2

2. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ सादर प्रेषित।

3. माननीय प्रिंसिपल रजिस्ट्रार महोदय (परीक्षा सेल), माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित। साथ ही यह भी अनुरोध है कि, सेवा प्रदाता टी.सी.एस. को "न्यायिक जिला स्थापना–धार पर दिनांक : 15 जनवरी से 10 फरवरी, 2022 तक आयोजित साक्षात्कार स्थगित होने की सूचना समस्त प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को एस.एम.एस. अथवा अन्य माध्यम से तत्काल देने हेतु" निर्देशित करने का एवं माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाईट पर प्रकाशित/अपलोड करवाने का कष्ट करे।।

4. अध्यक्ष/सदस्य साक्षात्कार बोर्ड कमांक : 01, 02 व 03 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

5. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, न्यायालय–धार की ओर प्रेषित कर लेख है कि, उक्त आदेश से साक्षात्कार कार्य में संलग्न किये गये समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को अवगत करवायें एवं आदेश की प्रतिलिपि कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर तत्काल चस्पा करवायें।

6. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

7. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग, न्यायालय–धार की ओर प्रेषित कर लेख है कि, उक्त "आदेश" जिला न्यायालय–धार की वेबसाईट पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।

8. कलेक्टर, जिला–धार की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

9. पुलिस अधीक्षक, जिला–धार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

10. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पातल अधीक्षक, शासकीय जिला चिकित्सालय, धार की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

11. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/प), धार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

12. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, धार की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

13. जनसम्पर्क अधिकारी, जिला सूचना प्रकाशन कार्यालय, धार (म.प्र.) की ओर प्रेषित कर लेख है कि, उक्त 'आदेश' मध्यप्रदेश राज्य के समस्त दैनिक समाचार–पत्रों में प्राथमिकता के आधार पर प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करें।

14. समस्त संबंधित तद्नुसार सूचित हो।

11.1.2022

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
धार (म.प्र.)